

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/प्रारं/शिक्षक-संस्थापन/एफ-6/सैट-अप/वो.2/2019

दिनांक 07.07.19

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा समस्त मण्डल
2. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा समस्त

विषय:- प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में स्थानान्तरित शिक्षक (कार्यमुक्त नहीं) को स्टाफिंग पैटर्न से पृथक रखने के संबंध में।

प्रसंग:- कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का पत्रांक शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1ए/सैटअप परिवर्त :/2018 दिनांक 06.07.19

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि इस कार्यालय के संमसंख्यक आदेश दिनांक 03.06.19 के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा में कार्यरत शिक्षको के जिले की वरिष्ठता के आधार पर माध्यमिक शिक्षा में सुपुर्द कर उनका स्थानान्तरण माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में किया गया था, लेकिन माननीय न्यायालय के आदेश एवं अन्य विभिन्न कारणों से जो शिक्षक अभी तक कार्यमुक्त नहीं हुए हैं। उनका विवरण शाला दर्पण पोर्टल पर प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में ही प्रदर्शित (कार्यरत/अधिशेष) हो रहा है।

अतः निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में समायोजित/स्थानान्तरित शिक्षक लेकिन न्यायालय के आदेश एवं अन्य विभिन्न कारणों से जो शिक्षक अभी तक कार्यमुक्त नहीं हुए हैं उन्हें स्टाफिंग पैटर्न पुनर्निर्धारण एवं समायोजन प्रक्रिया से पृथक रखते हुए शेष प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिकों का समायोजन एवं अधिशेष कार्मिकों की काउसलिंग प्रक्रिया संपादित की जावे। इन शिक्षको को स्टाफिंग पैटर्न पुनर्निर्धारण के तहत उसी विद्यालय अथवा प्रारम्भिक शिक्षा के अन्य विद्यालय में समायोजन/पदस्थापन नहीं किया जाना है।

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज
(प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. शासन उप सचिव, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्राशि) शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. उपायुक्त शाला दर्पण प्रकोष्ठ राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर।
4. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी केन्द्र शिक्षा संकुल जयपुर।
5. सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
6. प्रभारी सूचना सहायक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज
(प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग राजस्थान
बीकानेर